

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/मा.द./पार्ट-4/2010

जयपुर, दिनांक

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

22 NOV 2011


विषय :- पंचायत समिति स्तर की दर अनुसूची जारी करने के कम में।
संदर्भ :- कार्यालय पत्रांक एफ 20(36)ग्रावि/नरेगा/कय प्रक्रिया/ 2010 दिनांक
13.04.2011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के साथ राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के कय नियम 183 से 192 एवं नियम 211 में किये गये संशोधन की प्रति प्रेषित की गई थी। पंचायती राज नियम के नियम 183 (1ख) में वर्णित किया गया है कि "प्रत्येक पंचायत समिति, अपनी अधिकारिता के भीतर किसी ग्राम पंचायत द्वारा उपाप्त की जाने वाली सामग्री और सेवाओं की दरों की मूल अनुसूची, जिसे इसमें इसके पश्चात् द.मू.अ. के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, अवधारित करेगी। ऐसी द.मू.अ. वर्ष में कम से कम एक बार 15 फरवरी तक या किसी अन्य तारीख तक, जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाये, तैयार की जायेगी"। उक्त नियमों के अनुरूप पंचायत समिति स्तर से दर अनुसूची जारी की जानी है।

नये वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने तक सामग्री कय करने हेतु निविदा प्रक्रिया पूर्ण किये जाने हेतु यह आवश्यक हो जाता है कि दर अनुसूची समय पर जारी कर दी जावे। अतः इस सम्बन्ध में यह निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 183 (1ख) तथा 183(1ग) के अनुरूप आपके अधीनस्थ सभी पंचायत समितियों की दर अनुसूची 15 जनवरी, 2012 तक आवश्यक रूप से जारी कर दी जावे ताकि नये वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने तक सामग्री कय हेतु निविदा प्रकरण पूर्ण किये जा सकें।


भवदीय


(तन्मय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
2. विकास अधिकारी कम कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।
3. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस